न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 28/2026

तारीख – 10/3/2026

अनिल कुमार पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माजीसाहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. कैलाश चन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सीताराम पुत्र नन्दा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कास्यां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. घनश्याम पुत्र गोपीराम जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. सुरेशकुमार पुत्र गोपीराम जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 23/3/2026

प्रार्थना पत्र **अनिल कुमार पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी माजीसाहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 34 पर अंकित आराजी संख्या 227/65 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 34 पर अंकित आराजी संख्या 227/65 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 28/2026

तारीख दायर – 10/2/2026
तारीख फैसला – 23/3/2026

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......28....../ 2026 पत्थरगढ़ी बाबत्।

अनिल कुमार पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माजीसाहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

...........प्रार्थीगण

बनाम

01. कैलाश चन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सीताराम पुत्र नन्दा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कास्यां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. घनश्याम पुत्र गोपीराम जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. सुरेशकुमार पुत्र गोपीराम जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 34 पर अंकित आराजी संख्या 227/65 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलिया कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एंव पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते